न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 83/2024 देवाराम बनाम बुधसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-26	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पुश्तैनी हक अधिकार व कब्जेकाश्त लाटे/बाड़े की भूमि वाके ग्राम सरेचां के खसरा नम्बर 185 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर ग्राम सरेचा तहसील लूणी में आई हुई है, जहां प्रार्थी का कब्जाकश्त पीढ़ियों से चला आ रहा है तथा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 186 में आई हुई है, उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की पुश्तैनी, हक, अधिकार व कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरदस्ती दखलन्दाजी कर रहे है इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतू भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलसुदा प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया पत्रावली बहस हेतु निहित की गई। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज रहे है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के कारण आज दिन तक कब्जा व काश्त प्रार्थी का उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का खसरा संख्या 185 से कोई वास्ता सरोकार हक, अधिकारी खातेदारी नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण जो जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थी द्वारा अपने हक अधिकार व कब्जेकाश्त को लेकर वाद बाबत घोषणा रैकर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश कर रखा है जिसमें काफी समय लग सकता है, इस दरम्यान अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती बेदखल करना चाहते है, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के लिखित बहस के जवाब में किसी प्रकार से जिरह नही की गई। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने के उपरांत भी न तो जवाब पेश किया न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि में कब्जाकाश्त है तथा मौके पर निर्माण भी हुआ है।	

पेशकर्ता

प्रारूपकर्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में आदिनांक तक न तो अपना जवाब दिया गया न ही बहस की गई। अतः प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सूनवाई की गई। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अंतरिम निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौके से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, न ही उनके कब्जा व काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

हंसमुख कुमार आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर
लूणी

वादकर्ता

प्रतिवादकर्ता